भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1672

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2025

मेधा-सह-साधन योजना

1672. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छात्रवृत्ति योजनाओं में मेधा-सह-साधन योजना आधारित चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पात्रता मानदंडों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में गरीब और पिछड़े वर्गों के छात्रों पर छात्रवृत्ति योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि छात्रों की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों के शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं। मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, गरीब और मेधावी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लागू की गई है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, इस योजना को पारदर्शिता की विभिन्न विशेषताओं से युक्त, एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली भी शामिल है। इसमें मेरिट सूची भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से तैयार की जाती है।

(ख) से (ङ): मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान हैं। वर्ष 2023 में, मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं के संस्थानों/लाभार्थियों का एक असंबद्ध पक्ष द्वारा वास्तविक सत्यापन अध्ययन कराया था। देश भर के 1572 नमूना संस्थानों में से 830 संस्थान या तो फर्जी/आंशिक रूप से फर्जी/गैर-संचालनशील पाए गए। इस मामले की सूचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दी गई है।

छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।
